2007:CGHC:10578DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

प्रकरण क्रमांक दाण्डिक अपील क्रमांक 1164 सन् 2001

दाण्डिक अपील क्रमांक 1164/2001

अपीलार्थी	नरसिंह, पिता कोंदा, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी- ग्राम टेमरी, पुलिस थाना-नांदघाट, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
विरुद्ध	
प्रत्यर्थी	छत्तीसगढ राज्य द्वारा- पुलिस थाना नांदघाट, जिला दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत दाण्डिक अपील

खण्डपीठ

माननीय श्री एल सी भादू न्यायाधीश

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

मौखिक निर्णय

26.07.2007

एल सी भादू न्यायमूर्ति

अपीलार्थी की ओर से	श्री विष्णु कोष्टा अधिवक्ता
राजय की ओर से	श्री डी.के. ग्वालरे शासकीय अधिवक्ता

सुना गया

दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत प्रस्तुत इस अपील के माध्यम से अपीलार्थी ने न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) बेमेतरा द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 319/2000 में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2001 की वैधता एवं विधिमान्यता को प्रश्नगत किया है जिसके अनुसार अभियुक्त/अपीलार्थी को

कुंवर सिंह की हत्या के जुर्म में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास एवं 5000/- रूये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम होने पर अपीलार्थी को एक (1) वर्ष के सश्रम कारावास की सजा पृथक से भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 08.08.2000 को समय सुबह करीब आठ बजे अभियुक्त/अपीलार्थी कुंवर सिंह (अब दिवंगत) के घर के सामने गया कुंवर सिंह घर के बाहर आया। अभियुक्त ने कुवंर सिंह से पूछा कि उसने उसके खेत से पानी का रूख उसके खेत की ओर क्यो मोड़ दिया है, जिस पर कुंवर सिंह में उत्तर दिया कि उसने पानी का रूख उसके खेत की ओर नही मोड़ा है। अभियुक्त/अपीलार्थी ने कुंवर सिंह से कहा मंदिर जाए, मंदिर में देवता के सामने दृढ़ता पूर्वक यह बात कहे। मुश्किल से 20 कदम ही चल पाया गया था, अभियुक्त/अपीलार्थी ने कहा कि तुम झठे हो, उसे मां बहन की गाली दी ओरलाठी से उस पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप कुंवर सिंह गिर पड़ा।इसके पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी ने कुंवर सिंह पर लाठी से 3-4 बार हमला किया और घटनास्थल से भाग गया। गवाह उमेंद और रेवाराम ने कुंवर सिंह को उठाया और उसके घर ले गए, कुंवर सिंह के परिवार के सदस्यों को घटना की जानकारी दी, जो उस समय कृषि कार्य में रत थे वे सब आए और कुंवर सिंह को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टेमरी ले गए। प्रकरण की सूचना उनके भतीजे लखन ने पुलिस थाना नांदघाट को दी जिस पर रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी -22 दर्ज की। रोजनामचा सान्हा दर्ज करने के पश्चात प्रधान आरक्षक मनमोहन सिहं को मौके पर भेजा गया। मनमोहन सिंह ने मौके पर पहुंचने के पश्चात देहाती नालसी प्रदर्श पी-1 को थाना प्रभारी को प्रेषित किया। उसके आधार पर अपराध क्रमांक 81/2000 दर्ज किया गया था। हल्का पटवारी ने मौका पंचनामा प्रदर्श पी /2 तैयार किया। कुंवर सिंह की मुलाहिजा का आवेदन प्रदर्श पी/4 भेजा गया एवं मुलाहिजा प्रतिवेदन प्रदर्श पी/4 डॉ.एन.पी. जांगड़े (अ.सा.- 8) द्वारा तैयार की गयी । पुलिस हिरासत में रहते हुए आरोपी का मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी -6 दर्ज किया गया जिसके आधार पर पुलिस द्वारा अपराध में प्रयुक्त हथियार लाठी बरामद किया गया । हालाकि इस बीच कुंवर सिंह की अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। जांच अधिकारी ने पंचो के प्रदर्श P-13 के द्वारा सूचना प्रेषित किया एवं कुंवर सिंह का मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन प्रदर्श पी-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14 के द्वारा तैयार किया गया । कुंवर सिंह का शव प्रदर्श प-12A के तहत शव परीक्षण हेतु भेजा गया जहां डॉ. एस. के शर्मा (अ.सा. -12) ने शव परीक्षण की कार्यवाही की और शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी/11 तैयार की अभियुक्त का बनियान प्रदर्श पी-15के तहत जप्त किया गया।

सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त/अपीलार्थी के विरूद्ध अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बेमेतरा की अदालत में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया जहां से यह प्रकरण सत्र न्यायाधीश दुर्ग को उपार्जित किया गया, एवं वहा से यह प्रकरण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश को अंतरण पर प्राप्त हुआ।

अभियोजन ने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए कुल 14 गवाहों का परीक्षण करवाया है, अभियुक्त का बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से इंकार किया और यह तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और मामले में झूठा फसाया गया है। बचाव पक्ष की ओर से शकील मोहम्मद नामक व्यक्ति का परीक्षण कराया गया है, जिसने बताया कि उस दिन नरसिंह गांव की ओर जा रहा था। उसने देखा कि रावत समुदाय के लोग उस पर हमला करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे, जिस पर उसने नरसिंह को पुलिस थाने चलने को कहा और इसलिए नरसिंह पुलिस गांव नांदघाट चला गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्तों को उपर्युक्त अनुसार दोषी ठहराया और दण्डित किया।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु कोष्टा और राजय सरकर के शासकीय अधिवक्ता श्री डी के ग्वालरे को सुना।

श्री कोष्टा ने कुंवर सिंह की मानव वध से हुई मृत्यु का कोई खंडन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 2 उमेद ने स्पष्ट रूप से कहा कि घटना दिनांक की सुबह लगभग 9 बजे, उसने देखा कि अभियुक्त ने मृतक पर लाठी से हमला किया और उसने यह घटना लगभग 15 फीट की दूरी से देखी।

उपरोक्त मौखिक साक्ष्य डॉ एस के शर्मा (अ.सा.-12) के साक्ष्य से पुष्टि होते है जिन्होने बताया कि दिनांक 09.08.2000 को उन्होने कुंवर सिंह के शव का शव परीक्षण किया था और उनके शरीर पर चोटों के निशान थे। पेरिटोनियम झिल्ली क्षतिग्रस्त थी, लीवर **3" *1/2"** के आकार में फटा हुआ था और पेल्विक कैविटी में खून का थक्का जमा हुआ था, चेहरा सूजा हुआ था और उन्होने बताया कि कुंवर सिंह को लगी चोटें ही उनकी मृत्यु का कारण थीं और उनकी मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी। अतः मौखिक और चिकित्सीय साक्ष्यों से यह स्थापित होता है कि कुंवर सिंह की मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी।

जहॉ तक विचाराधीन अपराध में अभियुक्त/अपीलार्थी की संलिप्तता का संबंध है, अ.सा.- 2 उमेद ने बताया है कि मृतक और अभियुक्त/अपीलार्थी दोनो ही उसके परिचित थे। मृतक कुंवर सिंह की मृत्यु उनकी गवाही की तिथि से 2 महीने पहले हो गई थीं उन्होने देखा कि अभियुक्तों ने सुबह लगभग 9 बजे गली में मृतक पर लाठी से हमला किया। घटना स्थल जहां अभियुक्तों ने मृतक पर लाठी से हमला किया था, उनके घर से लगभग 15 फीट की दूरी पर था। उस समय, वह अपने घर के समाने बैठा था। जब कुंवर सिंह पहले ही गिरा पड़ा था जब वह मौके पर पहुंचा इस गवाह ने प्रति परीक्षण बचाव पक्ष ऐसी कोई भी परिस्थिति उजागर नही कर पाया, जिससे इस स्वतंत्र गवाह के साक्ष्य को अमान्य किया जा सकें। इसके अलावा, उमेद के उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि डॉ. एन पी जांगड़े (अ.सा.- 8) के साक्ष्य से होती है, जिन्होने कुंवर सिंह के शरीर पर मौजूद चोटों की परीक्षण की और बताया कि शरीर पर निम्नलिखित चोटें थीं-:

1. बाएं गाल पर खरोंच,

2. पेट के उपर हिस्से में 30 से.मी. * 1 से.मी. आकार का लाल रंग का चोट । चोट बाएं कंधे के निचले हिस्से से पेट तक फैली हुई थी।

3. गले पर 8 सेमी * 1 से.मी. आकार का लाल रंग का चोट।

4. दाहिनी कोहनी के जोड़ पर खरोंच।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डॉक्टर ने राय दी है कि उपरोक्त चोंटें 4-6 घंटो के भीतर किसी कड़े एवं भोथरे और कुंद वस्तु से लगी हो सकती है।

अभियोजन साक्षी, डॉ. एस.के. शर्मा (अ सा-12) के द्वारा दिनांक 09.08.2000 के शव परीक्षण किया और रिपोर्ट प्र.पी/12 तैयार किया गया । डॉ एन पी जांगड़े (अ सा- 8) के साक्ष्य की पुष्टि करते हुए यह बयान दिया है कि मृतक के पेट पर लाठी के चोट के निशान मौजूद थे, अतः **अभियोजन** साक्षी-2 उमेंद के मौखिक साक्ष्य की पुष्टि डॉ. एन.पी. जांगड़े **(**अ सा-8) के साथ-साथ डॉ. एस. के शर्मा (अ सा--12) के चिकित्सकीय साक्ष्य से होती है, इसलिए, विचाराधीन अपराध में अभियुक्त/अपीलकर्ता की संलिप्तता संदेह से परे स्थापित होती है।

श्री कोष्टा ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था कि कुंवर सिंह ने पानी का मार्ग बदल दिया था, जिसे मृतक कुंवर सिंह ने अस्वीकार कर दिया था और इस प्रकिया में, आरोपी ने मृतक पर लाठी से हमला किया। कुंवर सिंह की हत्या करने का आरोपी का कोई आशय नहीं था। उन्होने आगे तर्क किया कि शरीर के मार्मिक अंगो पर चोंटे नहीं आई। गाल, कंधे और पेट के क्षेत्र में केवंल मामूली चोटें आई, हालॉकि पेट की चोट के नीचे लीवर फट गया । इसलिए तथ्यों से यह अनुमान नही लगाया जा सकता कि आरोपी कुंवर सिंह की हत्या करने का आशय था। उन्होने यह भी तर्क दिया कि शुरू में अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दर्ज किया गया था और चूंकि कुंवर सिंह की अगले दिन अस्पताल में मृत्यु हो गई, इसलिए धारा 302 के तहत अपराध जोड़ा गया।

दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के फैसले का समर्थन किया।

राज्य के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्को के विवेचना के लिए हमने चिकित्सीय रिपोट और शव परीक्षण रिपोर्ट तथा डॉ. एन.पी. जांगड़े (अ. सा-8.) और डॉ एस.के शर्मा (अ. सा. 12) के साक्ष्य का अवलोकन किया है।

यह एक स्वीकृत स्थिति है कि विवाद इस बात पर शुरू हुआ कि अभियुक्त /अपीलार्थी नरसिंह मृतक के घर यह कहकर गया कि उसने अभियुक्त के खेत से पानी का रास्ता उसके खेत की ओर मोड़ दिया है, जिसे मृतक ने अस्वीकार कर दिया और दोनों पक्षों में विवाद हो गया । इस पर, अभियुक्त/ अपीलार्थी ने मृतक कुंवर सिंह से कहा कि अगर वह सही है, तो उसे मंदिर में जाकर देवता के सामने यह बात कहनी चाहिए। मृतक तुरंत मान गया। जब वह मंदिर की ओर जाने लगा, तो मुश्किल से 20 कदम ही चल पाया था कि अभियुक्त /अपीलार्थी ने मृतक पर लाठी से हमला किया और कहा कि वह झूठा है । उसने पानी का मार्ग बदल दिया था और इस कारण उसने 3-4 चोंटे पहुंचाई। स्पष्टतः 4 चोटे सामान्य प्रकृति की थी, हालॉकि, पेट की चोट के अनुरूप, मृतक का यकृत फट गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त साक्ष्य से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अभियुक्त ने वास्तव में मृतक की मृत्यु के आशय से उसके शरीर पर चोंटे पहुंचाई। चोंटों की प्रकृति, शरीर के जिस हिस्से पर चोटें लगी थी, और हथियार की प्रकृति को देखते हुए यह अनुमान नही लगाया जा सकता कि अभियुक्त/ अपीलार्थी ने कुवर सिंह की मृत्यु के आशय से चोटें पहुंचाई। हालॉकि, जिस रत हसे अभियुक्त /अपीलार्थी ने मृतक पर हमला किया, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अभियुक्त को इस बात का ज्ञान था कि पेट पर लाठी से चोट पहुंचाने से मृत्यु हो सकती थी । इसलिए, अभियुक्त/अपीलार्थी का अपराध भारतीय संहिता की धारा 304 भाग ।। से आगे नहीं जाता है और इस दृष्टिकोण के लिए हम करम सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1994 SCC (Cri) 64 के मामले में दिए गए सर्वोचच न्यायालय के निर्णय से अपने दृष्टिकोण को पुष्ट करते है। इस मामले में भी मृतक नाहर सिंह पर लाठी से हमला किया गया था, जिसे अ. सा 2 ने देखा था और पाया गया था कि नाहर सिंह के शरीर पर 10 चोंटें थी। सिर पर एक कटा हुआ घाव था, लेकिन कोई आंतरिक चोट नहीं थी। छाती पर नीलगु था और चोट क्रमांक 5 से 7 के पसलियों के अस्थिभंग के परिणामस्वरूप थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई।

डॉक्टर ने माना कि पसलियों के अस्थिभंग के कारण लीवर और प्लीहा में भी क्षति हो सकती थी। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह मानना मुश्किल है कि अपीलार्थी का आशय लीवर और प्लीहा को चोट पहुंचाने का था, जो दुर्भाग्य से घातक साबित हुआ। अंततः अदालत ने माना कि अभियुक्त/अपीलार्थी के विरूद्ध अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग ।। से आगे नही जाता।

वर्तमान मामले के तथ्य सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में पूरी तरह आच्छादित है।

परिणामस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आंशिक रूप से सफल होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि और दी गई सजा को अपास्त किया जाता है। इसके स्थान पर अपीलार्थी

को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भा ।। के तहत दोषसिद्ध किया जाता है तथा 7 वर्ष के सश्रम कारावास का दंडादेश दिया जाता है।

विचारण न्यायालय के फैसले के अनुसार, अभियुक्त/अपीलार्थी दिनांक 09.08.2000 से आज तक हिरासत में है, इसलिए वह उक्त निरोध अवधि का दंडादेश में दी गई अवधि से मुजरा करने तथा अन्य लाभ प्राप्त करने का हक़दार होगा

।

सही/-

एल.सी. भादू.

न्यायाधीश

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा,

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**